

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड II में प्रकाशनार्थ)

सं. 13017/02/2014-अ.भा.से.-1

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक: 30 अक्टूबर, 2017

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा तमिलनाडु और राजस्थान राज्य सरकारों की सहमति से केंद्र सरकार, एतद्वारा श्री शंकर लाल कुमावत, आईएएस (टीएन:2010) को दिनांक 19.11.2017 से और दो वर्षों की अवधि के लिए तमिलनाडु संवर्ग से राजस्थान संवर्ग में अंतर-संवर्गीय प्रतिनियुक्ति के विस्तार को अनुमोदन प्रदान करती है।



(उदय भान सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 011-23094142

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)।